

1-विभागाध्यक्ष का पद नाम-  
सेवायें,

महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सम्पर्क सूत्र-फोन नं०-0522-2306085

सी०यू०जी० मोबा०नं०-9454418151

2-कार्यालयाध्यक्ष-

वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

सम्पर्क सूत्र- फोन नं०-05692-234806

सी०यू०जी० मोबा० नं०-945441250

3- अधिकारियों / कर्मचारियों की पदवार स्वीकृत व तैनाती व रिक्त पदों का विवरण-

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद संख्या	तैनात	रिक्त
1	वरिष्ठ अधीक्षक	01	01	-
2	वरिष्ठ परामर्शदाता	01	01	-
3	परामर्शदाता	02	-	02
4	अधीक्षक	01	-	01
5	कारापाल	02	01	01
6	उपकारापाल	12	08	04
7	वरिष्ठ सहायक	01	01	-
8	वरिष्ठ लिपिक	03	02	01
9	लेखाकार	02	01	01
10	कनिष्ठ लिपिक	03	03	-
11	आशुलिपिक	01	-	01
12	फार्मासिस्ट	04	02	02
13	प्रधानाध्यापक	01	-	01
14	शिक्षाध्यापक	01	01	-
15	फार्म सुपरवाइजर	01	01	-
16	फार्म लिपिक	01	01	-
17	टेण्ट फोरमैन	01	01	-
18	टेण्ट सुपरवाइजर	01	01	-
19	टेण्ट सिलाई प्रशिक्षक	01	01	-

20	सिलाई प्रशिक्षक	01	01	—
21	बुनाई प्रशिक्षक	01	—	01
22	रंगाई प्रशिक्षक	01	01	—
23	दरी डिजायनर	01	01	—
24	केल्को ड्राइंग प्रशिक्षक	01	—	01
25	ट्रक चालक	01	01	—
26	ट्रेक्टर चालक	01	01	—
27	जिप्सी चालक	01	—	01
28	एम्बुलेंस चालक	01	01	—
29	नलकूप चालक	01	01	—
30	बिजली मिस्त्री	01	01	—
31	चक्की मिस्त्री	01	01	—
32	लैव अटेंडेंट	01	02	—
33	डार्करूम अटेंडेंट	01	—	01
34	एक्स-रे टेक्नीशियन	01	—	01
35	मुख्य प्रधान बंदी रक्षक	01	—	01
36	प्रधान बंदी रक्षक	29	22	07
37	बंदी रक्षक	150	85	65
38	मुख्य रिजर्व प्रधान बंदी रक्षक	01	01	—
39	रिजर्व प्रधान बंदी रक्षक	03	01	02
40	रिजर्व बंदी रक्षक	31	15	16
41	पनिहॉ	08	08	—
42	गाड़ीवान	01	01	—
43	चरवाहा	01	01	—
44	चौकीदार	02	03	—
45	माली	01	03	—
46	स्वच्छकार	08	06	02
	योग—	291	183	112

4-विभाग द्वारा जनहित में सम्पादित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी—

अ- बंदियों की मुलाकात- बंदियों की मुलाकात दो पालियों में करायी जाती है। प्रथम पाली की मुलाकात हेतु प्रातः 09.00 बजे तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा दूसरी पाली की मुलाकात हेतु प्रार्थना पत्र 11.00 बजे तक प्राप्त किये जाते हैं।

ब- कोई भी मुलाकाती अपनी मुलाकात हेतु आवेदन के मोबाइल नं०-9984454029 तथा फोन नं०-05692-312478 पर दर्ज करा सकता है।

स- निम्नलिखित जेल अवकाश, राष्ट्रीय पर्वों व त्यौहारों पर बंदियों की मुलाकात का कार्य नहीं कराया जाता है—

1- प्रत्येक सप्ताह का शनिवार।

3-गणतन्त्र-दिवस।

5-बसन्त-पंचमी।

7-किसमस डे

9-दीपावली।

11-गुड फ्राइडे

13-ईद-उल-फितर।

15-जन्माष्टमी।

17-राम नवमी।

2-स्वतन्त्रता दिवस

4-बारावफात।

6-चेहल्लुम।

8-दशहरा।

10-गांधी जयन्ती।

12-होली।

14-ईद-उल-जुहा।

16-मुहर्रम।

18-शिवरात्रि।

5- बंदियों हेतु कैण्टीन व्यवस्था- कारागार में बंदियों की सुविधा हेतु कैण्टीन की व्यवस्था की गयी है। जिससे बंदीगण अपनी-अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का सामान कूपन के माध्यम से क्य करते हैं।

6- बंदियों को कार्य के बदले पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था- कारागार में जो बंदीगण श्रम का कार्य करते हैं, उनको निम्नानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है-

1-कुशल- 18-00 रू० प्रतिदिन।

2-अर्द्ध-कुशल-13-00 रू० प्रतिदिन।

3-अकुशल- 10-00 रू० प्रतिदिन।

7- कारागार में गौशाला की स्थापना- कारागार में बंदियों के कल्याणार्थ एक गौशाला की स्थापना की गयी है, जिसमें गाय 07, बछड़ा-06, बछिया-04, भैस-08, पडिया-05, पड्डा-09 उपलब्ध है। वर्तमान में 10 दुधारु पशु है। दूध का प्रयोग बंदियों के प्रयोग हेतु किया जाता है।

8- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सूचना- कारागार से सम्बन्धित जो सूचना किसी आवेदक के द्वारा निर्धारित शुक्ल के साथ माँगी जाती है, उक्त सूचना समयानुसार सम्बन्धित को समय से उपलब्ध करा दी जाती है।

भवदीय,

वरिष्ठ अधीक्षक,  
केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।